राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः– प.14(3)पपा/2012 जयपुर दिनांकः– 11 APR 2017

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को मत्स्य विकास अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 ग्रेड–पे 5400/– में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(12) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रू. 22180/– (अक्षरे रूपये बाईस हजार एक सौ अस्सी मात्र) प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी कार्यालय में करते हैः–

क्र. सं.	मेरिट नं0	रोल नं0	अधिकारी का नाम व पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1.	आर–2	113001	श्रीमती अमृता प्रीतम शिवानी पुत्री श्री नरेन्द्र देव अहलुवालिया	13.05. 1989	GE WE	मत्स्य विकास अधिकारी, हैचरी, कासिमपुरा, (कोटा)

इस अभ्यर्थी की जन्म तारीख वे ही है, जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में उल्लेखित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

यह कि उक्त पद पर नियुक्ति नियमों की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

ये नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश सं0 8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(1) वित्त (नियम)/07, दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेंडम क्रमांक प.13(1)वित्त (नियम)/2003, दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त(नियम)/2004, दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस बाबत् इन्हें कार्यग्रहण्रा करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगें।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है।

यह आदेश वित्त विभाग की ID-101300988 दिनांक 08.03.2013 एवं कार्मिक विभाग की ID-408/DopA-2-/13 दिनांक 28.03.2013 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

11/4/17

(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(24) भर्ती/गोपनीय/ 2013-14/517 दिनांक 03.03.2017 के सन्दर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
9. आयुक्त मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक (मुख्यालय) मत्स्य विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यथी के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें।
10. संबंधित अभ्यर्थी..............................
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव